सं. आई-15011/9(33)/लॉचिंग ऑफ जीएसपी/एचआरडी/2017-18

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय (मानव संसाधन विकास)

विषय : वर्ष 2017-18 के दौरान हस्तिशिल्प क्षेत्र में मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत गुरु शिष्य परंपरा घटक के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

वर्ष 2017-18 के दौरान हस्तिशिल्प क्षेत्र में मानव संसाधन विकास स्कीम के तहत गुरु शिष्य परंपरा घटक के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निम्न ब्यौरे के अनुसार उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क) कार्यक्रम का उद्देश्य : शिल्प के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हुए सिद्धहस्तशिल्पी से नई पीढ़ी को पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण।

ख) अवधि : प्रशिक्षण की अवधि 15 प्रतिभागियों के प्रत्येक बैच के लिए न्यूनतम 2 माह तथा अधिकतम 6 माह होगी।

ग) पात्रता : शिल्प गुरु पुरस्कृत/राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत/ राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक/ राज्य पुरस्कृत एवं अन्य सिद्धहस्तशिल्पी।

1. पहली प्राथमिकता उन शिल्प गुरु (एसजी), राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत (एनए) और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक (एनएमसी) को दी जा सकती है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कोई कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है।

2. इसके उपरांत उन शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध केवल 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त हुआ है।

3. इसके उपरांत उन शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है।

4. इसके उपरांत उन शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कृत और राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक के आवेदनों पर विचार किया जा सकता है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त हुए हैं।

5. उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत, यदि कोई कोटा शेष रहता है तो उसे उस राज्य पुरस्कृत को दिया जा सकता है जिसे पिछले तीन वर्षों के दौरान 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त हुआ है।

घ) वित्तीय सहायता : प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 7200/- रुपए की अधिकतम सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता फील्ड कार्यालयों के माध्यम से सीधे सिद्धहस्तशिल्पी को दी जाएगी। न्यूनतम लगभग 3.83 लाख रुपए तथा अधिकतम लगभग 10.67 लाख रुपए।

उम्मीदवारों को आवेदन के साथ शैक्षणिक अहर्ता तथा अनुभव संबंधी आवश्यक दस्तावेज हमारी वेबसाइट www.handicrafts.nic.in पर ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। यदि इस संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो संबंधित क्षेत्रीय निदेशक/फील्ड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। पते वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ं (रमणींक चंद्र) सहायक निदेशक (एचआरडी)

No. I-15011/9(33)/Launching of GSP/HRD/2017-18

Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

(Human Resource Development)

Subject: - Inviting Application for imparting training under the components of Guru Shishya Parampara under Human Resource Development Scheme in Handicrafts sector during the year 2017-18 -regarding.

The applications are invited for imparting training under the components of Guru Shishya Parampara in under Human Resource Development Scheme in handicrafts sector during the year 2017-18 form the candidates as per the details below:-

- A. Aims of Programme: Handing over/transfer of traditional knowledge from master craftsmen to the new generation ensuring the sustenance of the craft.
- B. Duration:- The duration of training shall be minimum period of 2 months and maximum of 6 months with 15 participants per batch.
- C. Eligibility: Shilpguru awardee/National Awardee/National Merit Certificate/State Awardee and other master craftsperson.
 - First priority may be given to those Shilp Guru (SG), National Awardee(NA) and National Merit Certificate (NMC) holder who have not received any programme during the last 3 years.

 After that applications of those SG,NA, NMC holder may be considered who have got only I training programme in last 3 years.

3) Thereafter, those State Awardee(SA) may be considered who have not got any training programme in the last 3 years.

4) After that those SG, NA and NMC holder any be considered who have got2 taining programme during the last 3 years.

- 5) After completing above process, if any quota is left that may be given to SA who has got I training programme in last 3 years.
- D. Financial Assistance: Maximum assistance of Rs. 7200/- per trainee per month will be provided. The financial assistance is directly given to master craftspersons through field offices minimum Rs. 3.83 lakh and maximum of Rs. 10.67 lakh approximately.

Candidates must submit the application along with necessary documents related to their educational qualification and experience through online at our website: www.handicarfts.nic.in. If any clarification in this regard is required, concerned Regional office /Field office may be contacted. Addresses are available on the website.

(Ramnik Chand) Assistant Director(HRD)